(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3569–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 689/12–13/अपील.

श्रीमती मायादेवी पत्नी परमाल सिंह
निवासी ग्राम वीरमपुरा
परगना व जिला ग्वालियर .....आवेदिका

विरूद्ध

1– भगवान सिंह पुत्र रामसिंह
2– ओमप्रकाश पुत्र कल्याण सिंह
निवासीगण ग्राम वीरमपुरा
परगना व जिला ग्वालियर ..... अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदिका
श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 8/7/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 भगवान सिंह द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 4–3–14 के विरूद्ध आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रकरण में स्थगन जारी किया गया, जिस पर आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–9–2014 को आदेश पारित कर आवेदिका की आपत्ति निरस्त कर स्थगन आदेश आगामी पेशी तक यथावत बढ़ाया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोस्त को होगी, इस स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, न कि राजस्व पदाधिकारी के न्यायालय में । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी को कब्जा दर्ज करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, अतः अपर आयुक्त द्वारा ऐसे अधिकारिता रहित आदेश को ग्राह्य कर स्थगन बढ़ाये जाने का आदेश देने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के अभिलेख से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 भगवान सिंह के पक्ष में दिनांक 15–7–14 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिस पर आवेदिका द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–9–2014 को आवेदिका की आपत्ति निरस्त की गई है । बंदोबस्त समाप्त होने के उपरांत कलेक्टर को समस्त अधिकार हस्तांतरित होते हैं तथा कलेक्टर के आदेश की अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को ही होगी । अपर आयुक्त ने इस संबंध में आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । जहां तक स्थगन आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अभिलेख प्राप्त होने पर वह इस बिन्दु पर पुनः विचार करेंगे । अतः अपर आयुक्त के समक्ष अभिलेख आने पर आवेदिका को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है, इसलिए आवेदिका द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर